सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 150/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–27.07.2023

GCMS ID–2021/124

1. मन्नी देवी पुत्री बद्रीलाल पत्नी दिलदार सिंह जाति मीणा निवासी नठावा हाल निवासी उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. किशन आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. जगदीश आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. उमाशंकर आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. अनोख पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. निर्मला पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. मुर्ति पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. कजोडी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नठावा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. हजारीलाल आ0 गेन्दा जाति मीणा निवासी नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :– 16/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 18 खसरा संख्या 293 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 294 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 295 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 296 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 298 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6836 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 15 खसरा संख्या 201 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा संख्या 204 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 0.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 230 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 511 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

0.3318 हैक्टेयर, खसरा संख्या 522 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.8570 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 200 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 301 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 477 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 479 रकबा 0.7122 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 2.3228 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 510 रकबा 0.0486 गे0मु0चाह वाके ग्राम नठावा पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 जो प्रार्थीया की सामलाती खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीया अपने हिस्से पर भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त आ रही है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का मनभर दर्ज हो रहा है। प्रार्थीया के पिता बद्रीलाल जी के मनभर नाम की कोई पुत्री नहीं थी, प्रार्थीया का नाम मन्नी देवी है, लेकिन घर में प्रार्थीया को छोटी अवस्था में मनभर के नाम से भी जानते थे इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीया के पिताजी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खातले समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया मन्नी देवी के स्थान पर मनभर का इन्द्राज कर दिया उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम मन्नी देवी दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया का नाम मनभर दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही ले पा रही है। प्रार्थीया का नाम मन्नी देवी है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी मन्नी देवी ही नाम है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर मनभर के स्थान पर मन्नी देवी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 20.07.2023 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में मनभर के इन्द्राज दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर मन्नी देवी दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवांकर सही नाम मन्नी देवी दर्ज करवावें। भूमिया ग्राम नठावा पटवार मण्डल तालाबगांव तह0 हिण्डोली लि बून्दी में स्थिति होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 18 खसरा संख्या 293 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 294 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 295 रकबा 0.2995 हैक्टेयर, खसरा संख्या 296 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 298 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 299 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 300 रकबा 0.1700 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.6836 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 15 खसरा संख्या 201 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा संख्या 204 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 206 रकबा 0.3765 हैक्टेयर, खसरा संख्या 230 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा संख्या 511 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा संख्या 522 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.8570 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 200 रकंबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 301 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 477 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, खसरा संख्या 479 रकबा 0.7122 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 2.3228 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 510 रकबा 0.0486 गे0मु0चाह वाके ग्राम नठावा पटवार मण्डल तालाबगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम मनभर के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मन्नी देवी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 बाबजूद तामिलों के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/850 दिनांक :–22.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम नढावा की भूमि खाता संख्या 15, 16, 17, 18 में दर्ज अपना नाम मनभर पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर मन्नी देवी पुत्री बद्रीलाल शुद्ध करवाना चाहती है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों व सहखातेदारों द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार मनभर पुत्री बद्रीलाल व मन्नीदेवी पुत्री बद्रीलाल एक ही महिला के नाम है। जिनको मनभर पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर मन्नी देवी पुत्री बद्रीलाल होना अंकित किया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम मन्नी देवी पुत्री बद्रीलाल है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिनमें प्रार्थीया का नाम मन्नी देवी दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम नढावा पटवार मण्डल तालाबगांव के खाता संख्या 15, 16, 17, 18 में दर्ज सहखातेदार मनभर पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर मन्नी देवी पुत्री बद्रीलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446